

प्रेषक,

अधिशारी अभियन्ता,  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,  
प्रखण्ड-सुलतानपुर ।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,  
उ०प्र० लखनऊ ।

पत्रांक 169/ग्रा०अ०वि०/2018-19 दिनांक:: 28.04.2018

महोदय,

इस विभाग में दिनांक 21.05.2018 को खोलने वाली ई प्रोक्योरमेन्ट नोटिस निविदा की छः प्रतियों को सी०डी० के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया इसे प्रदेश स्तर के एक हिन्दी समाचार पत्र, फैजाबाद मण्डल के एक हिन्दी समाचार पत्र एवं जनपद सुलतानपुर के एक स्थानीय हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की कृपा करें ।  
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

- 1- निविदा सूचना
- 2- सी०डी०(एक)

*Prof. K. K. K.*  
*28/04/18*

भवदीय

अधिशारी अभियन्ता,  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,  
प्रखण्ड-सुलतानपुर ।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- जिलाधिकारी, सुलतानपुर को अवलोकनार्थ प्रेषित ।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर ।
- 3- परियोजना निदेशक एवं जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सुलतानपुर ।
- 4- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता(आई०टी०सेल), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ०प्र० लखनऊ (संलग्नक सी०डी०)
- 5- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ०प्र० लखनऊ ।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद ।
- 7- अधिशारी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, सुलतानपुर ।
- 8- अधिशारी अभियन्ता, सिचाई विभाग, सुलतानपुर ।
- 9- सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभि०विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर ।
- 10- खण्डीय लेखाधिकारी, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर ।
- 11- नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु ।

अधिशारी अभियन्ता,  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,  
प्रखण्ड-सुलतानपुर ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर ।

:- निविदा सूचना :-

ई- प्रोक्योरमेंट नोटिस

ई-मेल आईडी [eedred.sultanpur@gmail.com](mailto:eedred.sultanpur@gmail.com) दूरभाष सं० 05362-240249

पत्रांक 169 / ग्रा०अ०वि० / निविदा / 2018-19 दिनांक 28.04.2018

1. महामहिम राज्यपाल उ०प्र० की ओर से अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु आनलाइन निविदाएं <http://etender.up.nic.in> एवं इस विभाग के वेबसाइट [upred.gov.in](http://upred.gov.in) के माध्यम से अर्थराइज्ड ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उत्तर प्रदेश में श्रेणी A, B, C, D में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 14.05.2018 से 19.05.2018 तक अपराह्न 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है । तकनीकी निविदाएं दिनांक 21.05.2018 को दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जायेगी । तकनीकी विड में उपयुक्त पाये जाने पर निविदादाता की आनलाइन वित्तीय विड बाद में खोली जायेगी । उक्त तिथियों में यदि कार्यालय बन्द होता है, तो निविदायें अगले कार्यकारी दिवस में निर्धारित समय पर खोली जायेगी ।

कार्य का विवरण

क्रम सं०	जनपद	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू० में)	धरोहर धनराशि (रू० में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	अधिशासी अभियन्ता का पता
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>विधायक निधि</b>							
1	सुलतानपुर	ग्राम गौरा में श्री सुन्दर मौर्या के घर से श्री वंशी गुप्ता के घर तक 315 मी० सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य वि०ख०कूरेभार	12.94	25880/-	854/-	दो माह	विकास भवन ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड सुलतानपुर तदैव
2	"	अमऊ मेन रोड से कोलिया होते हुये जज्जौर तक सम्पर्क मार्ग पर मि०सो० कार्य वि०ख० धनपतगज	13.76	27520/-	854/-	दो माह	तदैव
3	"	करौंदिया में बजरंग ट्रेडर्स के सामने से श्री आर.पी.सिंह के मकान तक सी०सी०रोड व नाली निर्माण वि०ख०दूबेपुर	10.95	21900/-	854/-	दो माह	तदैव

2. उपरोक्त कार्य के पूर्ण करने का समय कालम नं० 7 में अंकित है ।

3. निविदा स्वीकार करने की बैधता, निविदा प्राप्त करने की तिथि से तीन माह (90दिन) होगी । एक बार दी गयी निविदा वापस नहीं ली जा सकती है ।

4. कार्य से सम्बन्धित निविदा शुल्क जैसा कि कालम-6 में दर्शाया गया है, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड--सुलतानपुर के पक्ष में व भुगतान देय होगा ।
5. जमानती धनराशि जो एन0एस0सी0 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. के रूप में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड--सुलतानपुर के पक्ष में बंधक होगी, जो कि निविदा की बैधता से 45 दिन अधिक की तिथि तक बैध होना अनिवार्य है । अवशेष तीन प्रतिशत जमानती धनराशि निविदा स्वीकार होने के पश्चात जमा करना अनिवार्य होगा तभी अनुबंध गठन किया जायेगा ।
6. निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि कोई सगा सम्बन्धी (First Blood Relation & their Spouses) विभाग में कार्यरत नहीं है । यदि है तो निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यरत रिश्तेदार के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण तैनाती के स्थान सहित शपथ-पत्र के माध्यम से देना होगा ।
7. ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा से दो साल सेवानिवृत्त के पूर्ण नहीं हुये हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति बिना नहीं दी जायेगी । यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेंगे तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी ।
8. अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी ।
9. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार कौंसिल में पंजीकृत है, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा ।
10. निविदादाता को प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ सारी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रोफार्मा (T-4, T-5, T-6) जमा करना अनिवार्य होगा ।
11. प्रत्येक निविदा दाता को रू0 100/- के नान जुडीशियल स्टैम्प पर बिडिंग कैंपिसिटी के मूल्यांकन हेतु निर्धारित प्रारूप (सेक्सन 3) पर आवश्यक सूचनायें भर कर निविदा के साथ सलग्न करना होगा ।
12. मुख्य सचिव उ0प्र0शासन के आदेश दिनांक 03.01.2018 के परिपालन में निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) सम्बन्धी डिमान्ड ड्राफ्ट्स/पे आर्डर्स/प्रतिभूति प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की भी कार्यवाही की जायेगी ।
13. निविदा प्रपत्र तथा अन्य विवरण जैसे अर्हता, कार्य की विशिष्टियां, ड्राइंग, विभिन्न कार्यों के शिडयूल आफ क्वान्टिटी जो कार्य किया जाना है के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में समय 11.00 बजे से 4.00 बजे तक देखी जा सकती है ।
14. अधोहस्ताक्षरी को निविदा प्रक्रिया/अनुबंध की प्रक्रिया को कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना/कारण बताये निरस्त करने का अधिकारी होगा ।
15. राशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।
16. कार्य के बीजक का भुगतान करते समय नियमानुसार आयकर /रायल्टी/जी0एस0टी0/लेबर सेरा आदि की कटौती की जायेगी ।
17. कार्य की मात्रा/लागत घट या बढ़ सकती है । उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत ही कार्य कराया जायेगा ।
18. जिन निविदा दाताओं के पास Digital Signature Certificate (D.S.C) नहीं है वे अधिकृत एजेन्सी से प्राप्त कर उपरोक्त वर्णित वेबसाइट पर निविदा डालने से पूर्व रजिस्टर्ड करा लें ।

19. निविदा दाताओं द्वारा अनुबन्ध के समय ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नम्बर अगिवार्थ रूप से देय होगी और उसे अनुबन्ध में एक प्रति के रूप में लगाया जायेगा।

20. किसी शासकीय क्षति की स्थिति में अनुबन्ध में अन्य शर्तों के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 2474/62-3- -88 आर0ई0-06 दिनांक 14.07.2009 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

21. शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार प्रतिशत कम दर देने पर अनबैलेन्स बिड हेतु ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न प्रकार देय होगी।

(क) 10 प्रतिशत तक कम दर पर 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर हेतु।

(ख) 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर पर 1 प्रतिशत प्रति कम दर हेतु।

*Handwritten signature/initials*

अधिशारी अभियन्ता,  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,  
प्रखण्ड सुलतानपुर।